

GOVERNMENT OF INDIA


 सत्यमेव जयते
दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2018/पौष 21, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 410
No. 08]	DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2018/PAUSHA 21, 1939	[N.C.T.D. No. 410

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जनवरी, 2018

फा. सं. 13 (04)/2011/यूडी/एमबी/2014/148.—पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा फा0 सं0 13 (61)/श0वि0/एमबी/सीसी/2014/7121 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 तथा 13 (61)/श0वि0/एमबी/सीसी/2014/6987 दिनांक 07 जनवरी, 2016 के अनुसार प्रकाशित पूर्ववर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातें को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**—(1) इन नियमों को दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 कहा जाएगा.
(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे.
2. **परिभाषा**—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक :-
(क) “अधिनियम” का अभिप्राय पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 है;
(ख) “उप-नियमों” का अभिप्राय इन अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए उप-नियमों से है;
(ग) “फार्म” का अभिप्राय इन नियमों के साथ संलग्न फार्मों से है;

- (घ) "कमेटी" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत पटरी विक्रेता के परिवाद निस्तारण या विवाद समाधान के लिए गठित कमेटी से है;
- (ड.) "नियम" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत बनाए गये नियमों से है;
- (च) "अनुसूची" का अभिप्राय नियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;
- (छ) "धारा" का अभिप्राय अधिनियम की धारा है;
- (ज) "स्कीम" का अभिप्राय यथोचित सरकार द्वारा धारा 38 के अंतर्गत बनाई गई स्कीम से है;
- (झ) "स्थानीय प्राधिकरण" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) खंड (ग) के अंतर्गत परिभाषित स्थानीय प्राधिकरण से है।
- (ञ) "सार्वजनिक उद्देश्य" में अधिनियम के प्रसंग में सम्मिलित है—
- (i) सड़क, गली, लेन को चौड़ा करना,
 - (ii) सड़क, गली, लेन के संरक्षण को बदलना,
 - (iii) कलवर लीवस एवं स्लिप डाउन सड़कों के साथ या बिना पलाई ओवरों का निर्माण,
 - (iv) भूमिगत पार पथ का निर्माण,
 - (v) भूमि का विकास जिस उद्देश्य के लिए यह आरक्षित है या किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए अधिग्रहण किया गया हो,
 - (vi) टाउन प्लानिंग योजना का कार्यान्वयन,
 - (vii) पानी, बाढ़ के पानी या सीवर लाइन बिछाना,
 - (viii) सर्विस के लिए इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण,
 - (ix) जन सुविधाएं,
 - (x) बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस), मेट्रो इत्यादि जैसे सार्वजनिक परिवहन से संबंधित कोई परियोजना,
 - (xi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हाउसिंग (ईडब्ल्यूएस) का निर्माण।
 - (xii) पार्क, उद्यान और मनोरंजन क्षेत्र का निर्माण
 - (xiii) उस क्षेत्र में किसी पर्यावरणीय प्रणाली संसाधन का संरक्षण तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गये अन्य विकास कार्य जिसके लाभार्थी समुदाय का बड़ा भाग।

(2) इन नियमों में प्रयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां जो परिभाषित नहीं हैं तथा अधिनियम में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में दिया गया है।

पटरी विक्रेता का विनियम

3. **पटरी विक्रेता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आयु** — 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पटरी विक्रेता को धारा 4 के अन्तर्गत पटरी विक्रेता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

4. **परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटियों का गठन.—(1)** अधिनियम की धारा 20 उपधारा (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी की व्यवस्था प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए की जाएगी जिसमें यथानिर्धारित ऐसा अनुभव रखने वाले अध्यक्ष के अलावा दो और पेशेवर सदस्य भी होंगे तथा अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो सिविल जज या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रह चुका हो।

(2) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

5. **परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी में सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं और अनुभव.—**परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी में पेशेवर सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए वही व्यक्ति अर्ह होगा जो—

- (i) 35 साल से अधिक उम्र का हो मगर उसकी उम्र 65 साल से ज्यादा न हो; और
- (ii) उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की डिग्री होनी चाहिए; और
- (iii) उसे सुयोग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के साथ-साथ सामाजिक कार्य या स्ट्रीट वेंडरों की समस्याओं या सार्वजनिक कार्य या नगर निगम अथवा लोक प्रशासन से संबंधित कम से कम 10 साल का अनुभव हो। या उसे केन्द्र या राज्य सरकार या किसी केन्द्र शासित प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय निकाय में ग्रुप 'क' पद से सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए।

6. परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन तथा भत्ते.— (1) परिवाद निस्तारण कमेटी के अध्यक्ष को पूर्णकालिक आधार पर नियुक्ति होनेपर सिटिंग सिविल जज (सीनियर डिविजन) के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य लाभ मिलेंगे और अंशकालिक आधार पर नियुक्त किये होने पर बैठक की प्रत्येक दिन के लिये दो हजार रुपये सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय/राशि दी जाएगी;

शर्त यह भी है कि अगर किसी रिटायर्ड जज या ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को पूर्णकालिक आधार पर अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसे अंतिम आहरित वेतन और भत्तों के बराबर पारिश्रमिक में से पेंशन की राशि घटाकर बनने वाली राशि दी जाएगी।

(2) पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त समिति का सदस्य 25000/-रुपये की समेकित राशि प्राप्त करेगा या अंशकालिक आधार पर नियुक्त समिति का सदस्य बैठक के दिन प्रतिदिन 1500/-रुपये का मानदेय प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त सदस्य प्रतिमाह 7000/-रुपये का परिवहन भत्ता करने का पात्र भी होगा।

शर्त यह भी है कि किसी सेवानिवृत्त सरकारी/नगर पालिका अधिकारी के पूर्णकालिक आधार पर सदस्य नियुक्त होने पर उसके पास अंतिम आहरित वेतन और भत्तों में से पेंशन को घटाकर निकलने वाली राशि प्राप्त करने का विकल्प होगा।

(3) सरकार परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी के अध्यक्ष और किसी सदस्य को उस स्थिति में हटा सकती है अगर वह :-

(क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या

(ख) किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया हो जिसमें सरकार की नज़र में नैतिक अधमता शामिल हो, या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में अक्षम हो गया हो, या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित हासिल कर लिये हों जिनसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

(ङ) उसने अपने पद का दुरुपयोग इस तरह से किया हो जिससे उस पद पर कार्य करना जनहित के प्रतिकूल बन गया हो :

इसके साथ ही शर्त यह भी है कि इस आधार पर यथानिर्दिष्ट ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में सरकार उपर्युक्त की धारा (घ) और (ङ) में बताये गये कारणों से अध्यक्ष या सदस्य को पूर्वनिर्धारित तरीके से करायी गयी जांच के बिना उसके पद से नहीं हटाएगी।

(4) कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों में उनके कार्यकाल की अवधि में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा जिससे उन्हें किसी तरह से नुकसान हो।

(5) कमेटी के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल पांच साल का होगा जिसमें 65 साल की अधिकतम उम्र की सीमा भी होगी।

7. शिकायत के निवारण या विवाद के समाधान के लिए आवेदन हेतु फार्म एवं प्रक्रिया :-

(1) अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत शिकायत निवारण या समाधान के लिए प्रत्येक आवेदन फार्म 'क' में होगा।

(2) आवेदक द्वारा आवेदन को हस्ताक्षर कर व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति या समिति की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा।

(3) आवेदन की तीन प्रतियां भरनी होंगी और गैर न्यायिक स्टॉप पेपर द्वारा दस रुपये की फीस देनी होगी।

(4) आवेदन के साथ आदेश या सूचना की प्रति, यदि कोई है तो, संलग्न करनी होगी जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है और अन्य संबंधित दस्तावेज़।

(5) इस तरह के आवेदन शिकायत या विवाद के कारण किसी भी घटना घटित होने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया जाएगा।

8. आवेदन के सत्यापन और जांच का तरीका.—(1) परिवाद निस्तारण का आवेदन के प्राप्त होने पर परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी का अधीक्षक या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति प्रत्येक आवेदन को विशेष रूप से बनाए गये डिजिटल रजिस्टर में दर्ज करेगा और क्रम संख्या देगा।

(2) कमेटी को आवश्यक प्राधिकार के साथ डिजिटल रजिस्टर देखने की अनुमति होगी।

(3) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी आवेदन की सुनवाई के लिए एक तारीख निर्धारित करेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेगी या जारी करवाएगी।

(4) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी उप-नियम (3) के तहत नोटिस जारी करते समय प्रतिवादी को लिखित बयान प्रस्तुत करने निर्देश देगी और नोटिस में इस तथ्य का उल्लेख होगा।

(5) पक्षकारों के उपस्थित होने के लिए निर्धारित तारीख को परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी आवेदकों को निर्देश दे सकती है कि अगर कोई त्रुटियां हों तो उन्हें दूर करें या कमेटी पक्षकारों से संबंधित रिकार्ड अथवा अन्य दस्तावेज या साक्ष्य एक ऐसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत करने को कह सकती है जिसे वह इसके लिए उचित और उपयुक्त समझती है।

(6) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी विवाद के सिलसिले में आवेदक/(को) और प्रतिवादियों के तर्कों तथा उसके समक्ष प्रस्तुत रिकार्ड के संदर्भ में मौके पर जांच के आदेश भी दे सकती है।

(7) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी पक्षकारों को सुनने और मामले के रिकार्ड की जांच के बाद आवेदन का फैसला करेगी और आवेदन प्रस्तुत करने के 90 दिनों के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह उपयुक्त और उचित समझती है।

(8) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी पक्षकारों के बीच समझौते की संभावनाओं का भी पता लगाएगी और अगर पक्षकारों के बीच कोई समझौता हो जाता है तो कमेटी समझौते को दर्ज कर लेगी तथा पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों/अधिकारियों के दस्तखत हो जाने के बाद समझौते को ध्यान में रखते हुए आवेदन का निपटारा कर देगी।

(9) परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी निम्नलिखित मामलों में कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगी—

- (क) आवेदन के गुमनाम होने या इसमें महत्वहीन और अस्पष्ट आरोप होने पर;
- (ख) मामले के किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा न्यायिक व अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण में विचाराधीन होने पर;
- (ग) मामले के अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने पर;
- (घ) आवेदक के पास मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार न होने पर.

9. परिवाद निस्तारण और विवाद समाधान कमेटी के आदेश या निर्णय के खिलाफ अपील.—

(1) पीड़ित पक्ष फार्म—ख में कमेटी के आदेश या निर्णय के खिलाफ हस्ताक्षरयुक्त लिखित आवेदन के माध्यम से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकरण में आदेश या निर्णय को भेजने की तारीख के तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।

इसके साथ ही शर्त यह भी है कि अपीलीय प्राधिकरण अगर इस बात से संतुष्ट हो कि निर्धारित समय के भीतर अपील दायर करने में देरी के पर्याप्त कारण हैं तो वह देरी को माफ कर सकता है।

(2) अपील ज्ञापन के रूप में की जाएगी और अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी और व्यक्तिगत या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी। अपील के ज्ञापन के साथ मूल आदेश या आदेश की प्रमाणित प्रति साथ होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(3) अपील तीन सैटों में तथा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर के माध्यम से दस रुपये के शुल्क सहित दायर की जाएगी।

(4) ऐसी कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जबतक कि उसकी प्रतिलिपि पक्षकारों को दे दी गयी हो और देने का प्रमाण उपलब्ध हो. अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रतिलिपि मूल रूप में या उसकी प्रमाणित प्रति, अगर उपलब्ध हो तो संलग्न की जानी चाहिए जिसके खिलाफ अपील की जा रही है.

(5) ऐसे किसी भी मामले में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी जिसमें कमेटी ने दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को लेकर आदेश पारित किया हो।

10. नगर विक्रय कमेटी के निर्णय के खिलाफ अपील.—

(1) विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने या इसके निरस्तीकरण अथवा निलंबन के किसी निर्णय के खिलाफ धारा 11 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति द्वारा आदेश की सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर फार्म 'सी' में संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकरण को अपील की जा सकेगी।

इसके साथ ही शर्त यह भी है कि अगर अपीलीय प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील दायर न कर पाने के पर्याप्त कारण रहे हैं तो वह इसमें हुए विलंब को माफ भी कर सकता है.

(2) अपील फार्म 'सी' में ज्ञापन के रूप में होगी तथा आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। अपील के ज्ञापन को उस आदेश की मूल या प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी जिसके खिलाफ अपील की गई है।

(3) अपील तीन सैटों में दायर की जाएगी और दस रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर के साथ होगी।

(4) किसी भी अपील को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जबतक कि इसकी एक प्रति उस नगर विक्रय कमेटी को उपलब्ध नहीं कर दी जाती जिसने अपील के लिए उठाया जाने वाला आदेश पारित किया था और प्रतिलिपि उपलब्ध कराए जाने का सबूत अपील के साथ संलग्न करना होगा।

11. स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया.—(1) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में अपील की प्रविष्टि दायर किये जाने की तारीख के साथ करेगा।

(2) अपील को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा जो अपील की सुनवाई की तारीख निश्चित कर पक्षकारों को इसके लिए भेजा जाने वाले नोटिस तैयार करेगा।

(3) अपीलीय प्राधिकरण पक्षकारों के प्रतिवेदनों और मामले के रिकार्ड तथा प्राधिकरण द्वारा मौके पर करवाई गयी जांच (अगर करायी गयी हो तो उसके) आधार पर स्थानीय प्राधिकरण के पास अपील प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर उस आदेश के खिलाफ जिसपर अपील हुई है, एक ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह उपयुक्त समझता है जिसमें आदेश की पुष्टि या या संशोधन अथवा उसे निरस्त किया जा सकेगा।

12. नगर विक्रय कमेटी का गठन.- (1) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के पास एक टाउन वैंडिंग कमेटी होगी। प्रत्येक नगर निगमों में 8-12 वार्डों के समूह के लिए टाउन वैंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। नगर निगमों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण के अपर आयुक्त/उपायुक्त टाउन वैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष हो सकता है।

(2) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के निगमायुक्त या अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी जैसा भी मामला हो, टाउन वैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष होगा तथा टाउन वैंडिंग कमेटी के अन्य सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-

क्रम सं.	विभाग/निकाय	प्रतिनिधियों की संख्या
1.	संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या अध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक अधिकारी-अध्यक्ष	1
2.	स्थानीय प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी-सदस्य	1
3.	योजना प्राधिकरण (मुख्य टाउन योजनाकर्ता या स्थानीय प्राधिकरण के टाउन प्लानिंग विभाग के अन्य अधिकारी)- सदस्य	1
4.	स्थानीय प्राधिकरण के प्रतिनिधि (मुख्या प्रवर्तन विभाग/स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/सीईओ द्वारा नामित अणिकारी)- सदस्य	3
5.	यातायात पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1
6.	पुलिस (एसीपी के रैंक से नीचे नहीं)- सदस्य	1
7.	बाजार/व्यापारी संघ - सदस्य	2
8.	गैर सरकारी संगठन- सदस्य	2
9.	बैंक/ स्ट्रीट वैंडर्स संघ - सदस्य	1
10.	स्ट्रीट वैंडर्स (चयनित)- सदस्य	12
11.	सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/ स्थानीय प्राधिकरण के निर्माण विभाग- (जिस किसी का भी अधिकतम क्षेत्र हो)-सदस्य	1
12.	समुदाय आधारित संगठन - सदस्य	1
13.	रैजीडेंट वैलफेयर संघ - सदस्य	2
14.	राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- सदस्य	1
	कुल	30

(3) चयनित सदस्यों को छोड़कर टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों का नामांकन सरकार/संबंधित प्राधिकरण/एजेंसी/संघ द्वारा सुझाए नामों के आधार पर होगा।

(4) स्थानीय प्राधिकरण के निगमायुक्त /मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष जैसा भी मामला हो यह सुनिश्चित करेंगे कि टाउन वैंडिंग समिति के चुनाव संचालन के दौरान स्ट्रीट वैंडर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से असक्त व्यक्तियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों को देय प्रतिनिधित्व दिया जाए।

13. टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य के चयन के लिए चुनाव.-

(1) स्ट्रीट वैंडर्स में से चुनाव संचालित करने के बाद प्रथम टाउन वैंडिंग समिति गठित की जाएगी जिन्होंने दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका में 2007 की योजना में, आवेदन किया था, जिनका नाम चौपड़ा समिति एवं थरेजा समिति द्वारा तैयार सूची में उल्लिखित है। मतदाता किसी अन्य वैंडर को भी सम्मिलित करेगा जिसे स्थानीय प्राधिकरण की अनुमति से लाइसेंस या अन्य कोई फार्म जारी किया गया है चाहे वो दिल्ली स्ट्रीट वैंडिंग का काम करने से पूर्व कानूनी वैंडर, मोबाइल वैंडर या किसी अन्य संवर्ग के अन्तर्गत है पटरी विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं स्ट्रीट वैंडिंग का विनियम) अधिनियम, 2014

बशर्ते कि पहली टाउन वैंडिंग समिति सर्वे के उद्देश्य एवं वैंडिंग प्रमाण पत्र को जारी करने का कार्य करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि एक बार सर्वे पूरा होने के बाद छह माह के अंदर चुनाव संचालित हों।

इसके अलावा बशर्ते कि स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/सीईओ/अध्यक्ष समय-समय पर मतदाता सूची के संशोधन के बाद उत्तरवर्ती चुनाव संचालित करेंगे।

(2) स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिसूचना के माध्यम से संबंधित प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र के स्ट्रीट वैंडरों का प्रतिनिधित्व करने वाली टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों के लिए चुनाव संचालित हेतु अपनी मंशा व्यक्त करेंगे।

(3) स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र के स्ट्रीट वैंडरों का प्रतिनिधित्व करने वाली टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों का चुनाव संचालन करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेंगे।

14. पटरी विक्रेताओं में से नगर पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों के चुनाव का तरीका.—

(1) नियम 13 के उप-नियम (3) के अनुसार नियुक्त निर्वाचन अधिकारी नगर पटरी विक्रेता कमेटी के सदस्यों का चुनाव आयोजित करेगा जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में बताए गये तरीके से पटरी विक्रेताओं में से किया जाएगा।

(2) कोई फेरी लगाने वाला, पटरी पर दुकान लगाने वाला या गली में रेहड़ी पर सामान बेचने वाला विक्रेता नगर पटरी विक्रय कमेटी के चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएगा, अगर वह:—

- (i) नैतिक अधमता के अपराध का दोषी करार दिया गया हो
- (ii) नगर पटरी विक्रेता कमेटी के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों के निर्वाह में शारीरिक और/या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए
- (iii) स्वयं इस तरीके से संचालित किया जाए कि सार्वजनिक हित के प्रतिकूल हो।

(3) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण सरकार को निर्वाचित सदस्यों के नाम सूचित करेगा, और सरकार इन नामों तथा मनोनीत सदस्यों के नामों के मिल जाने के बाद प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण की नगर पटरी विक्रय कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी करेगी।

15. नगर पटरी विपणन कमेटी का कार्यकाल.— (1) इस अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत गठित नगर पटरी विक्रय कमेटी का कार्यकाल गठन की तारीख से 5 साल का होगा, बशर्ते उसे इस नियमावली के नियम 17 के तहत समय से पहले भंग न कर दिया जाए।

(2) नगर पटरी विक्रय कमेटी के गठन की प्रक्रिया तब पूरी हो जानी चाहिए—

- (i) इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले; या
- (ii) इसके भंग होने की तारीख से छह महीने पूरा होने से पहले।

16. नगर पटरी विक्रय कमेटी के सदस्य को हटाना.—

(1) अगर सरकार की नजर में नगर पटरी विक्रय कमेटी का कोई सदस्य इस अधिनियम के द्वारा/या इसके अधीन तथा इन नियमों के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में लगातार चूक कर रहा हो और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा हो या इनकी सीमाएं लांघ रहा हो तो समुचित सरकार आदेश के जरिए ऐसे सदस्य को कमेटी से हटा सकती है। शर्त यह भी है कि ऐसे सदस्य को हटाने से पहले सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) टाउन वैंडिंग समिति के सदस्य की लीव ऑफ एबसेंस एवं अयोग्यता मुख्यतः निम्न प्रकार से तय की जाए :—

(क) आवश्यकता की स्थिति में सदस्य समिति के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से बैठक में अनुपस्थित रह सकते हैं।

(ख) जब कोई सदस्य अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो अध्यक्ष ऐसे सदस्य को कारण बताओं नोटिस जारी करेंगे और बैठक में उसकी अनुपस्थिति का कारण दो सप्ताह में बताने को कहेंगे। यदि ऐसे सदस्य अपनी अनुपस्थिति के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें चेतावनी देनते हुए सदस्य बनाए रखा जाए।

(ग) जब सदस्य बैठक में अपनी अनुपस्थिति का संतोषजनक कारण बताने में असफल रहता है या निर्धारित समय में कारण बताओं नोटिस का जवाब नहीं देता है, तो समिति से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और टाउन वैंडिंग समिति द्वारा सदस्य को समापन आदेश जारी किए जाएंगे।

(घ) कोई सदस्य जो अपराधी घोषित है समिति से वह अपनी सदस्यता खो देंगे।

17. नगर पटरी विक्रय कमेटी को भंग किया जाना.— अगर सरकार की नजर में कोई नगर पटरी विक्रय कमेटी इस अधिनियम के द्वारा/या इसके अधीन तथा इन नियमों के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में लगातार चूक कर रही हो और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हो या इनकी सीमाएं लांघ रही हो तो सरकार उपयुक्त आदेश के जरिए ऐसी नगर विक्रय कमेटी को भंग कर सकती है और उसके स्थान पर नयी नगर पटरी विक्रय कमेटी का गठन कर सकती है।

18. नगर पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों के भत्ते.— लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहे नगर पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों को संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार भत्ता दिया जाएगा।

19. नगर पटरी विक्रय कमेटी की बैठकें।— (1) नगर विक्रय कमेटी आम तौर पर तीन महीनों में एक बार या कमेटी के अध्यक्ष द्वारा कामकाज के निपटारे के लिए निर्धारित अंतराल पर बैठक आयोजित करेगी।

इसके साथ ही शर्त यह भी है कि अध्यक्ष, धारा 22 के अंतर्गत नगर विक्रय कमेटी की पहली बैठक इसके गठन के 45 दिन के भीतर बुलानी होगी।

(2) नगर पटरी विक्रय कमेटी की बैठकें अध्यक्ष के फ़ैसले से स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी परिसर या मुख्यालय में आयोजित की जा सकती हैं।

20. नगर पटरी विक्रय कमेटी की बैठक के कार्य संचालन का तरीका।—

(1) नगर पटरी विक्रय कमेटी अपनी बैठक के कार्यसंचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकती है:—

- (i) टाउन वैडिंग समिति की बैठक का कोरम टाउन वैडिंग समिति का संख्या बल का कम से कम एक तिहाई होना चाहिए।
- (ii) बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और इनकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा नामित द्वारा की जाएगी।
- (iii) उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम और नियमावली के प्रावधानों के तहत और उपनियमों के प्रावधानों के बावजूद नगर पटरी विक्रय कमेटी की बैठकों में प्रस्ताव आम तौर पर आम राय से या इसके सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से तथा बैठक में मौजूद व वोट डालने वाले सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों से अन्यून बहुमत से पारित किये जाएंगे।

21. नगर पटरी विक्रय कमेटी द्वारा किये जाने वाले कार्य।—

अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान पर प्रभाव डाले बिना कोई नगर पटरी विक्रय कमेटी निम्नलिखित कार्य करेगी:—

- (क) अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में पटरी विक्रेताओं की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराना और योजना, मानदंडों तथा अपने अधिकार क्षेत्र की धारण क्षमता के अनुसार उनको खपाना;
- (ख) पात्र पटरी विक्रेता से नियमों और शर्तों के पालन का वचन लेकर पटरी विक्रेता को प्रमाण पत्र जारी करना जो पटरी विक्रेता को प्रमाण पत्र स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार जारी किया गया है।
- (ग) प्रमाण पत्र की किसी शर्त या अधिनियम के तहत पटरी व्यापार के नियमन के लिए बनाए गए नियमों, शर्तों अथवा इनके तहत बनी किसी योजना या कार्यक्रम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले पटरी विक्रेताओं के विक्रय प्रमाण पत्र रद्द या निलंबित करना. नगर पटरी विक्रेता कमेटी अगर इस बात से संतुष्ट हो कि पटरी व्यापारी ने अपना प्रमाण पत्र जालसाजी या घोखाधड़ी से हासिल किया है तो भी वह ऐसी कार्यवाही कर सकती है;
- (घ) स्थानीय प्राधिकरण को उसके अंतर्गत आने वाले किसी इलाके को गैर-पटरी व्यापार क्षेत्र घोषित करने के बारे में सिफारिश करना;
- (ङ) फेरी लगाने वालों और पटरी पर दुकान लगाने वालों के लिए इलाके और स्थान की पहचान करना;
- (च) सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ न हो यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार करने के समय का नियमन करना;
- (छ) पटरी व्यापारियों द्वारा अवज्ञा के मामलों में सुधारात्मक प्रणाली लागू करना;
- (ज) विवाद समाधान समिति और स्थानीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- (झ) पटरी व्यापार के पेशे को बढ़ावा देने की योजना तैयार करने के बारे में स्थानीय प्राधिकरणों को सिफारिशें करना;
- (ञ) अपनी बैठकें आयोजित करना और अपना कामकाज दक्षता से करने के लिए उपयुक्त निर्णय करना;
- (ट) अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने के बारे में सहायता या परामर्श प्राप्त करने के लिए अपने साथ अस्थायी तौर पर तकनीकी और पेशेवर व्यक्तियों को सम्मिलित करना;
- (ठ) पटरी व्यापारियों का अधिकारपत्र प्रकाशित करना जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि पटरी व्यापारी का व्यापार प्रमाण पत्र जारी करने में कितना समय लगेगा, कितने समय में प्रमाण पत्र का नवीकरण होगा तथा इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए क्या समय सीमा होगी;
- (ड) पंजीकृत पटरी विक्रेताओं तथा ऐसे पटरी विक्रेताओं का अद्यतन रिकार्ड रखना जिनको अधिनियम के प्रावधानों के तहत विक्रेता लाइसेंस जारी किया जा चुका है;
- (ढ) इस अधिनियम या इन नियमों या इसके अंतर्गत किसी कार्यक्रम के तहत अपनी गतिविधियों का सोशल ऑडिट कराना;
- (ण) सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को समय-समय पर अधिनियम के तहत निर्धारित विभिन्न विवरणियां भेजना;
- (त) पटरी विक्रेताओं को कर्ज, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने जैसे प्रोत्साहन-कार्यक्रमों के बारे में सरकार को अपनी टिप्पणियां देना;

- (थ) अर्थव्यवस्था में पटरी विक्रेताओं की भूमिका के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने में सरकार की मदद करना; और
- (द) अधिनियम और इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय प्राधिकरण और सरकार द्वारा पटरी विक्रय कमेटी को हस्तांतरित किये जाने वाले इसी तरह के अन्य कार्य करना।

22. विशेषज्ञों को अपने साथ अस्थायी रूप से शामिल करने की नगर पटरी विक्रय कमेटी की शक्ति.—(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई नगर पटरी विक्रय कमेटी किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जिसे इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और जानकारी हो पटरी विक्रेताओं से संबंधित मामलों में तकनीकी या पेशेवर सलाह के लिए अपने साथ शामिल कर सकती है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत विशेषज्ञ के रूप में शामिल किये जाने वाले व्यक्ति का चयन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और इसमें सरकारी विभागों में सलाहकारों और विशेषज्ञों तकनीकी या पेशेवर जानकारों को रखने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के अनुसार विशेषज्ञ के तौर पर संबद्ध किये जाने वाले व्यक्तियों को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

23. नगर पटरी विक्रय कमेटी के कर्मचारी.— संबंधित स्थानीय प्राधिकरण नगर पटरी विक्रय कमेटी के अनुरोध पर सरकार की पूर्वानुमति से कमेटी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करा सकते हैं जिन्हें स्थानीय प्राधिकरण इस नियमावली के नियम 21 के माध्यम से प्रदत्त या सौंपे गये कार्यों को करने के लिए आवश्यक समझता है।

24. नगर पटरी विक्रय कमेटी द्वारा पटरी विक्रेताओं का रिकार्ड रखने का तरीका.— प्रत्येक नगर पटरी विक्रय कमेटी अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत बताये गये तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में या हाथ से बना अथवा दोनों तरह का अद्यतन रिकार्ड से रखेगी।

25. नगर पटरी विक्रय कमेटी द्वारा विवरणी भेजना.— (1) प्रत्येक नगर पटरी विक्रय कमेटी हर साल के लिए डिजिटल फॉर्मेट में निम्नलिखित आवधिक विवरणियां तैयार कर सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगी.:-

(I) सर्वेक्षण—

- (क) साल के दौरान सर्वे किये गये पटरी विक्रेताओं की सूची;
- (ख) उन इलाकों और वार्डों का नाम जहां सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसके पूरा होने की तारीख;
- (ग) इन इलाकों और वार्डों का नाम जहां सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और इसके प्रारंभ किये जाने तथा पूरा होने की संभावित तारीख;
- (घ) साल के आखिरी दिन को पंजीकृत पटरी विक्रेताओं की वार्ड-वार सूची;

(II) पटरी विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदनों की प्राप्ति और निपटान—

- (क) साल के दौरान पटरी विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की सूची (वार्ड-वार);
- (ख) साल के दौरान निपटाये गये आवेदनों की सूची (वार्ड-वार) और इसमें से—
- (i) स्वीकार किये गये आवेदनों की सूची
- (ii) अस्वीकार आवेदनों की सूची;
- (iii) साल के आखिरी दिन लंबित आवेदनों की सूची।

(III) पटरी विक्रय प्रमाण पत्रों के निलंबन के मामले—

- (क) साल के दौरान पटरी विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन की कार्रवाई वाले मामलों की सूची;
- (ख) साल के दौरान निपटाये गये निलम्बन मामलों की सूची;
- (i) वैडिंग के प्रमाण पत्र निलंबन की सूची;
- (ii) बंद किए गए मामलों की सूची और निरंतर वैडिंग के प्रमाण पत्र;
- (iii) साल के अंतिम दिन लंबित मामलों की सूची;

(IV) पटरी विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन को रद्द करने के आवेदन—

- (क) साल के दौरान पटरी विक्रय प्रमाण पत्र के निलंबन को रद्द करने के प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति की सूची;
- (ख) ऊपर (क) में प्राप्त आवेदनों की सूची में से साल के दौरान निपटाये गये आवेदन—
- (i) निलंबन रद्द करने से संबंधित आवेदनों की सूची जिनमें विक्रय प्रमाण पत्र को फिर से मान्य किया गया।
- (ii) बंद किये गये मामलों की सूची जिनमें निलंबन जारी रहा।
- (ग) साल की आखिरी तारीख को निलंबन रद्द करने संबंधी लंबित मामलों की सूची।

V) पटरी विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले—

(क) ऐसे मामलों की सूची जिनमें साल के दौरान विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने की कार्यवाई प्रारंभ की गयी;

(ख) साल के दौरान निपटाए गये विक्रय प्रमाण पत्र रद्द करने के मामलों की सूची;

(i) रद्द किये गये विक्रय लाइसेंसों की सूची;

(ii) बंद किये गये ऐसे मामलों की सूची जिनमें प्रमाण पत्र जारी रहा;

(ग) साल के आखिरी दिन लंबित मामलों की सूची;

(VI) साल के दौरान आयोजित नगर पटरी विक्रय कमेटी की बैठकों का कार्यवृत्त;

(VII) पहचान किये गये पटरी विक्रय जोन की वार्ड—वार सूची जिसमें वार्ड, इलाका/कॉलोनी, सड़क, विक्रय जोन का मानचित्र और धारण क्षमता का उल्लेख हो;

(VIII) पंजीकृत पटरी विक्रेताओं की वार्ड—वार संख्या जिन्हें अधिसूचित पटरी विक्रय जोनों में खपाया गया है;

(IX) अन्य गतिविधियां—

(1) (क) साल के दौरान कराए गये गतिविधियों के सोशल ऑडिट;

(ख) साल के दौरान पटरी विक्रेताओं को कर्ज, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याण योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए उठाए गये प्रोत्साहन उपाय;

(ग) अर्थव्यवस्था में पटरी विक्रेताओं की भूमिका के बारे में साल के दौरान जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए किये गये उपाय;

(घ) पटरी विक्रेता से संबंधित किसी पहलु के संबंध में किये गये कार्यों पर जनता से प्राप्त शिकायतों एवं प्रतिपुष्टि के आधार पर।

2) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, में से कोई भी, किसी नगर विक्रय कमेटी से समय—समय पर किसी निर्धारित प्रारूप में कोई अन्य विवरणीया विवरणियां उपलब्ध कराने को भी कह सकती है।

26. समाचार पत्र आदि में अधिसूचित कार्यक्रम के सारांश आदि का प्रकाशन.— (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के निगमायुक्त/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम का सारांश सार्वजनिक सूचना के रूप में धारा 38 (2) के तहत प्रकाशित करेंगे। इस नोटिस को दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों में छपवाया जाएगा और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र या इलाके में अधिक से अधिक जानकारी के लिए सार्वजनिक नोटिस से प्रसारित किया जाएगा।

(2) इस नोटिस पर स्थानीय प्राधिकरण के निगमायुक्त/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

(3) यह नोटिस स्थानीय प्राधिकरण के निगम आयुक्त/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट भाषा या भाषाओं में होगा।

27. सदस्यों की अपात्रता :— टाउन वैडिंग समिति के सदस्यों का लीव ऑफ एबसेंस एवं अपात्रता का निर्णय मुख्यतः निम्न तरीके से किया जाएगा :—

(1) आवश्यकता की स्थिति में सदस्य, समिति के अध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से बैठक में अनुपस्थित रह सकते हैं।

(2) (क) जब कोई सदस्य अनुमति के बिना लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष ऐसे सदस्य को कारण बताओं नोटिस जारी करेंगे और उसकी अनुपस्थिति का कारण दो सप्ताह में बताने को कहेंगे। यदि ऐसे सदस्य अपनी अनुपस्थिति के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें चेतावनी देते हुए सदस्य बनाए रखा जाए।

(ख) जब सदस्य बैठक में अपनी अनुपस्थिति का संतोषजनक कारण बताने में असफल रहता है या निर्धारित समय में कारण बताओं नोटिस का जवाब नहीं देता है तो समिति से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए और टाउन वैडिंग समिति द्वारा सदस्य को समापन आदेश जारी किए जाएंगे।

(3) कोई सदस्य जो अपराधी घोषित है समिति से अपनी सदस्यता खो देंगे।

(4) जिस सदस्य ने समिति से अपनी सदस्यता खो दी है वे समापन आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह के अंदर राज्य सरकार के पास अपील कर सकते हैं। राज्य सरकार दोनों पार्टियों को सुनने का अवसर देने के बाद अपील पर निर्णय देगी और सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

प्रमोद कुमार गोयल, उप सचिव शहरी विकास)

अनुसूची
(नियम 14 देखें)

अपने अधिकार क्षेत्र के पटरी विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी नगर पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराने की प्रक्रिया.

1. संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के पटरी विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों के चुनाव का पर्यवेक्षण, संचालन और नियंत्रण करेगा।

2. जैसे ही किसी इलाके के पटरी विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पटरी विक्रय कमेटी के सदस्यों के चुनाव आयोजित करने के स्थानीय प्राधिकरण के इरादे की अधिसूचना नियम 13 के उप-नियम (2) के तहत जारी की जाएगी और उप-नियम (3) के तहत निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी, स्थानीय प्राधिकरण एक प्रस्ताव के जरिए चुनावों की तारीख, समय और स्थान का निर्धारण करेगा।

3. स्थानीय प्राधिकरण के प्रस्ताव/निर्णय को उस नगर पटरी विक्रय कमेटी के अधिकार क्षेत्र में रहड़ी, पटरी और फेरी लगाकर व्यापार करने वालों में निम्नलिखित में से किसी भी एक तरीके से प्रचार किया जाएगा:—

(क) दो प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उचित समझी जाने वाली किसी भाषा के दैनिक समाचापत्र में सार्वजनिक सूचना के जरिए;

(ख) स्थानीय वितरण;

(ग) डाक से सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग वाले पत्र के जरिए;

(घ) सक्षम प्राधिकरण में विधिवत पंजीकृत स्पीड पोस्ट या कूरियर सेवा के जरिए और निर्वाचन अधिकारी के नोटिस बोर्ड के माध्यम से. नोटिस में निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए—

(i) चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं, विकलांगजनों, अल्पसंख्यकों या किसी अन्य निर्दिष्ट श्रेणी के आरक्षित सीटें शामिल हैं।

(ii) नामांकन पत्र जमा कराने की तारीख, स्थान और समय. यह तारीख चुनाव के लिए निर्धारित तारीख से पूरे सात दिन से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर उस दिन सार्वजनिक अवकाश का हो तो उसके अगले कार्यदिवस को जो कि अवकाश का नहीं होना चाहिए।

व्याख्या.— “सार्वजनिक अवकाश” का तात्पर्य किसी ऐसे दिन से है जो नेगोशिएबल इंडस्ट्रमेंट्स एक्ट 1881 (1881 का केन्द्रीय अधिनियम XXVI) की धारा 25 के अंतर्गत सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित हीं किया गया हो।

(iii) नामांकन वापिस लेने की तारीख।

(iv) नामांकन पत्रों की जांच की तारीख और समय;

(v) मतदान की तारीख, स्थान और समय.

(vi) मतों की गणना की तारीख।

4. **स्थानीय प्राधिकरण आयुक्त या अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी** नामांकन आमंत्रित करने की निर्धारित तारीख से तीस दिन पहले नगर विक्रय कमेटी के अधिकार क्षेत्र में रहड़ी, पटरी और फेरीवाले व्यापारियों की एक सूची तैयार करेगा और नामांकन आमंत्रित करने के कम से कम 10 दिन पहले उक्त सूची को नगर पटरी विक्रय कमेटी के कार्यालय के नोटिसबोर्ड पर लगाएगा. इस सूची में पटरी विक्रेता की पंजीयन संख्या/प्रमाण पत्र संख्या, उसका नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसका पता दर्ज होना चाहिए. नगर पटरी विक्रय कमेटी या स्थानीय प्राधिकरण की यह जिम्मेदारी होगी कि वह फेरी, रहड़ी और पटरी विक्रेताओं का अद्यतन रजिस्टर या ऐसा अन्य रजिस्टर तैयार करे जो निर्वाचन अधिकारी कहे और इस तरह के रिकार्ड, रजिस्टर या रजिस्ट्रों को निर्वाचन अधिकारी को चुनाव के लिए निर्धारित तारीख से 30 दिन पहले सौंप दे. नगर पटरी विक्रय कमेटी या स्थानीय प्राधिकरण या निर्वाचन अधिकारी सूची की एक प्रति किसी भी पटरी विक्रेता को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निश्चित शुल्क लेकर उपलब्ध करा सकती है।

5. चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन इस अनुसूची के साथ संलग्न फार्म-1 में किये जाएंगे जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी भी पटरी विक्रेता को निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

स्पष्टीकरण : नियम 14 के अनुसार निर्धारित फार्म-1 प्रथम टाउन वैंडिंग समिति के लिये संचालित चुनाव में नियम-13 (1) के तहत लागू नहीं होगा। संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रथम चुनाव का फार्म तैयार किया जाएगा।

6. उम्मीदवार नामांकन पत्रों के साथ दो हजार रुपये जमानत के तौर पर नकद या बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर भी जमा कराएंगे। अगर कोई उम्मीदवार डाले गये कुल वोटों के एक बटा छह से कम वोट हासिल करता है तो उसकी जमानत राशि स्थानीय प्राधिकरण के पक्ष में जब्त हो जाएगी।

7. प्रत्येक नामांकन पत्र को उम्मीदवार द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा निर्वाचन अधिकारी को पेश करना होगा। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्र पर क्रम संख्या डालेगा और अपने पास इसके प्राप्त होने की प्रमाणित तारीख और समय दर्ज करेगा और तत्काल नामांकन पत्र की एक पावती रसीद नगर पटरी विक्रय कमेटी/निर्वाचन अधिकारी की मोहर के साथ लौटाएगा, जो नामांकन पत्र जमा कराने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख और समय या उससे पहले प्राप्त नहीं होगा उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

8. (i) नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के अगले दिन निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेगा;

(ii) निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच करेगा और किसी भी नामांकन के संबंध में किसी भी व्यक्ति की आपत्तियों के बारे में निर्णय लेगा। निर्वाचन अधिकारी इन आपत्तियों पर या स्वतः संज्ञान लेते हुए, अगर जरूरत हो तो सरसरी तौर पर ऐसी जांच के बाद, जसे वह उचित समझे किसी नामांकन को रद्द कर सकता है;

इसके साथ ही शर्त यही भी है कि किसी उम्मीदवार का नामांकन सिर्फ उसके और उसके प्रस्तावक अथवा अनुमोदक का नाम या कोई अन्य ब्यौरा, धारा 4 में बतायी गयी पटरी विक्रेताओं की सूची में दर्ज उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक के ब्यौरे को गलत तरीके से लिखे जाने के आधार पर रद्द नहीं होगा, बशर्त कि उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक की पहचान संदेह के तर्कसंगत दायरे के परे साबित हो जाए;

(iii) निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उनके प्रस्तावकों और अनुमोदकों को सभी नामांकन पत्रों की जांच करने और उन्हें यह आश्वस्त करने की तमाम वाजिब सुविधाएं देंगे कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के नाम को वैध तरीके से शामिल किया गया है;

(iv) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के अपने निर्णय को पृष्ठांकित करेगा और अगर नामांकन पत्र अस्वीकार किया जाता है तो वह लिखित में इसके कारणों के बारे में संक्षिप्त वक्तव्य दर्ज करेगा;

(v) निर्वाचन अधिकारी प्रक्रिया को स्थगित नहीं करेगा और अगर करेगा तो सिर्फ तभी जब दंगे, फसाद या नियंत्रण से बाहर के किसी कारण से इस प्रक्रिया में व्यवधान या बाधा आए;

9. निर्वाचन अधिकारी द्वारा वैध करार दिये गये नामों की सूची, जिसमें नामांकन पत्रों में दिये गये उम्मीदवारों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दर्ज होंगे और साथ में उनके पते के भी होंगे, उसी दिन प्रदर्शित/प्रकाशित कर दी जाएगी जिस दिन नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा होगा।

10. कोई भी उम्मीदवार अपने हस्ताक्षरों से युक्त लिखित नोटिस व्यक्तिगत रूप से देकर अपना नामांकन वापस ले सकता है। ऐसा नोटिस नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद लेकिन वैध नामांकनों की सूची प्रकाशित होने के पहले दिन शाम 5 बजे से पहले किसी भी वक्त नगर पटरी विक्रय कमेटी के निर्वाचन अधिकारी को दिया जा सकता है। एक बार नामांकन वापस लेने का नोटिस दिये जाने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

11. अगर ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जिनके नामांकन वैध घोषित किये गये हैं चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या से ज्यादा नहीं होंगे तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे सभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगा और उपरोक्त धारा 10 के तहत नाम वापस लेने के दिन समय सीमा के खत्म होने के बाद उन्हें विधिवत निर्वाचित घोषित कर देगा। अगर वैध नामांकन वाले उम्मीदवारों की संख्या चुने जाने वालों की संख्या से ज्यादा होगी तो निर्वाचन अधिकारी मतदान के लिए निर्धारित तारीख को चुनाव कराने का इंतजाम करेगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम (अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लगाएगा) तथा उनको क्रम संख्याओं का वितरण करेगा। निर्वाचन अधिकारी जरूरत पड़ने पर चुनाव कराने के लिए एक या एक से अधिक मतदान अधिकारियों/पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। इसके लिए इस्तेमाल किये जाने वाले मतपत्र संबंधित स्थानीय निकाय के आयुक्त या अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित होंगे।

12. स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या अध्यक्ष या कार्यकारी अधिकारी निर्वाचन अधिकारी को मतपेटियां, मतपत्र, पटरी विक्रेताओं/मतदाताओं की सूची की प्रति और इसी तरह की अन्य चीजें उपलब्ध कराएगा जो चुनाव कराने के लिए आवश्यक होते हैं। मतपेटेटी इस तरह से बनायी जाएगी कि उसमें मतपत्रों को डाला तो जा सकेगा मगर ताला खोले बिना उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। चुनाव लड़ रहा कोई भी उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान करने और वोट डालने के कार्य की निगरानी दोनों ही में उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव एजेंट नियुक्त करवा सकता है। इस पत्र में इस अनुसूची के साथ संलग्न फार्म-2 में संबंधित एजेंट की सहमति संलग्न करनी होगी।

13. मतदान पूरा होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करने पर रोक होगी।

14. मतदान प्रारंभ होने के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी खाली मतपेटेटी को वहां उपस्थित व्यक्तियों को दिखाएगा और उसके बाद उसमें ताला लगाकर सील लगा देगा। अगर उम्मीदवार या उसका एजेंट चाहे तो वह भी अपनी मोहर ताले पर लगा सकते हैं।

15. प्रत्येक पटरी विक्रेता/मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, उसे एक मतपत्र उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में हिन्दी और अंग्रेजी में क्रम संख्या के साथ छपे हुए या टाइप किये हुए अथवा साइक्लोस्टाइल किये हुए होंगे। मतपत्र पर नगर पटरी विक्रय कमेटी की मोहर के साथ साथ निर्वाचन

अधिकारी के संक्षिप्त हस्ताक्षर भी होंगे। मतपत्र पर एक कॉलम होगा जिसमें मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के आगे गुणा का निशान लगा सकता है।

16. प्रत्येक मतदान केन्द्र और अगर मतदान केन्द्र में एक से ज्यादा मतदान बूथ हैं तो हर बूथ में बनाए गये अलग-अलग कक्षों में पटरी विक्रेता/मतदाता गोपनीयता से अपना वोट डाल सकेंगे।

17. किसी पटरी विक्रेता/मतदाता को तबतक कोई मतपत्र नहीं दिया जाएगा जबतक कि मतदान अधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि संबंधित पटरी विक्रेता/मतदाता वही व्यक्ति है जिसका नाम उसको उपलब्ध करायी गयी सूची में शामिल है। इस तरह का मतपत्र प्राप्त करने के बाद पटरी विक्रेता/मतदाता वोट डालने के लिए बनाए गए मतदान कक्ष में जाएगा और उम्मीदवार या उम्मीदवारों के नाम के आगे गुणा का निशान लगाकर व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में अपनी पसंद का संकेत देगा और मतपत्र को वोट डालने के लिए रखीगयी मतपेटी में पूरी गोपनीयता से डालेगा। अगर अंधता या किसी अन्य शारीरिक अक्षमता या निरक्षरता के कारण कोई पटरी विक्रेता/मतदाता मतपत्र में निशान लगाने में असमर्थ है, तो मतदान अधिकारी और अगर जहाँ मतदान अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है वहाँ निर्वाचन अधिकारी उससे पूछकर यह पता लगाएगा कि वह किस उम्मीदवार या उम्मीदवारों के पक्ष में मतपत्र में गुणा का निशान लगाना चाहता है और ऐसा करके मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा।

18. अगर मतदान के किसी भी चरण में दंगे या गड़बड़ी की वजह से मतदान प्रक्रिया में व्यधान आता है या बाधा उत्पन्न होती है और पर्याप्त कारणों से चुनाव कराना संभव नहीं रहता तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी मतदान रोक सकता है। उसे इसके लिए नगर पटरी विक्रय कमेटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में इस तरह की कार्रवाई के लिए कारणों को दर्ज करना होगा।

19. मतदान के लिए निर्धारित अवधि के पूरा हो जाने के बाद किसी पटरी विक्रेता/मतदाता को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अगर वह मतदान का समय पूरा होने से पहले मतपत्र जारी करने के स्थान पर पहुंच जाता है तो उसे मतपत्र दे दिया जाएगा और वोट डालने दिया जाएगा।

20. मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतों की गणना की जाएगी। यदि यह संभव नहीं है तो मतदान बॉक्स को रिटर्निंग अधिकारी एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके एजेंट की सील के साथ उन्हें सीलबंद किया जाए यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो और उसे स्ट्रॉंग रूप में जमा कराया जाए और रिटर्निंग अधिकारी के सुरक्षित कब्जे में रखा जाए, उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी गणना के आगामी दिन की घोषणा करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा या उनके पर्यवेक्षण के अंतर्गत मतों की गणना की जाए। प्रत्येक उम्मीदवार एवं उनके प्राधिकृत एजेंट को यह अधिकार है कि वे गणना के समय उपस्थित रहें। परन्तु गणना के समय किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट की अनुपस्थिति से गणना रद्द नहीं होगी और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी। मतगणना के समाप्त होते ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या एवं चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा।

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना समाप्त होने एवं परिणाम घोषणा के तुरंत बाद संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में विजयी उम्मीदवार को चुनाव का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वह संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के आयुक्त या अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी सूचित करेंगे।

21. चुनाव परिणाम को नगर पटरी विक्रय कमेटी की कार्यवृत्त पुस्तिका में भी निर्वाचन अधिकारी के सत्यापन के साथ दर्ज किया जाएगा और कमेटी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तुरंत अधिसूचित कर दिया जाएगा।

22. बराबर-बराबर वोट मिलने की स्थिति में निर्वाचन अधिकारी सिक्का उछाल कर नतीजे का एलान करेगा।

23. निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई मतपत्र रद्द कर दिया जाएगा अगर—

- (i) इसमें ऐसा कोई निशान हो जिससे मतदाता पहचान की जा सके;
- (ii) इसमें नगर पटरी विक्रय कमेटी की मोहर या निर्वाचन अधिकारी के आद्याक्षर न हों;
- (iii) वोट डालने का निशान इस तरह से लगा हो कि किस उम्मीदवार को वोट दिया है यह फैसला करना संदिग्ध हो;
- (iv) मत पत्र इतना खराब या कटा-फटा हुआ हो कि असली मतपत्र के रूप में इसकी पहचान न की जा सके।

24. चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी द्वारा नतीजे के एलान के तीन दिन के भीतर चुनाव परिणाम और उसपर एक रिपोर्ट स्थानीय प्राधिकरण और सरकार को भेजी जाएगी।

25. चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों और नगर विक्रय कमेटी के सदस्यों के चुनाव से संबंधित रिकार्ड को सीलबंद लिफाफे में स्थानीय प्राधिकरण को सौंप देगा। इसे स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चुनाव की तारीख से छह महीने या चुनाव विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा होने की अवधि में से जो भी बाद में हो, तब तक के लिए सुरक्षित रखा जाएगा तथा इसके बाद इसे नष्ट कर दिया जाएगा। चुनाव रिकार्ड के दिये जाने और प्राप्त किये जाने के प्रमाण की प्रतिलिपि निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ सरकार और स्थानीय प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

(नियम 14 देखें)

फार्म-1

टाउन वैडिंग समिति के सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन

सेवा में

आयुक्त/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टाउन वैडिंग समिति

महोदय,

मैं _____ पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री _____ टाउन वैडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में दुकान लगाता हूँ (वैडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं०.....) एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी _____ जो श्री _____ की पत्नी/पुत्र/पुत्री है तथा वह उक्त टाउन वैडिंग समिति का स्ट्रीट वैडर है (वैडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं०) का नाम प्रस्तावित करता हूँ यह प्रस्ताव उक्त समिति के सदस्य के दिनांक _____ को होने वाले चुनाव के प्रत्याशी के लिए है।

प्रस्तावक का नाम और हस्ताक्षर

वैडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं०_____

मैं _____ पत्नी/पुत्र/पुत्री श्री _____ की टाउन वैडिंग समिति को _____ जिसका पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं०_____ है इसके द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

समर्थक का नाम और हस्ताक्षर

पंजीकरण/प्रमाण पत्र संख्या_____

प्रत्याशी द्वारा घोषणा

मैं _____ पत्नी/पुत्र/पुत्री/ श्री _____ जिसका टाउन वैडिंग समिति का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं०_____ है इसके द्वारा _____ स्थान की टाउन वैडिंग समिति के सदस्य के चुनाव के लिये अपने नामांकन पर सहमत हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि :-

(i) मैं उक्त टाउन वैडिंग समिति का कर्मचारी नहीं हूँ।

(ii) मैं मतदान के लिए पात्र हूँ :

(iii) उक्त टाउन वैडिंग समिति के सदस्य के चुनाव हेतु पटरी दुकानदार (पटरी दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का केन्द्रीय अधिनियम 07) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए दिल्ली पटरी दुकानदार (पटरी दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी अयोग्यता के अन्तर्गत नहीं आता।

प्रत्याशी का नाम तथा हस्ताक्षर

वैडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं० _____

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर_____

मोहर

पावती

श्री _____ का नामांकन पत्र दिनांक_____ को _____ बजे (पूर्वाह्न/अपराह्न) प्राप्त किया जिसे श्री/श्रीमती/कुमारी _____ ने प्रस्तुत किया जो चुनाव के लिए प्रत्याशी/प्रस्तावक/अनुमोदक है।

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

मोहर

(नियम 14 देखें)

फार्म-2

(अनुसूची का खंड 12)

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ स्ट्रीट वैंडर, जिसका वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं० _____ है, टाउन वैंडिंग समिति के अधिकार क्षेत्र में पटरी दुकानदार हूँ तथा उक्त समिति के सदस्य का चुनाव प्रत्याशी हूँ, एतद्द्वारा उक्त टाउन वैंडिंग समिति के सदस्यों के दिनांक _____ का होने वाले चुनाव में निम्नलिखित व्यक्तियों को अपने चुनाव एजेंट/काउंटिंग एजेंट के रूप में नामांकित करता हूँ :-

प्रत्याशी का नाम और हस्ताक्षर

वैंडिंग का पंजीकरण/प्रमाण पत्र सं० _____

मैं _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
पता _____ चुनाव एजेंट/एकाउंट एजेंट बनना चाहता हूँ।

एजेंट का नाम तथा हस्ताक्षर

फार्म "क"

(नियम 7 देखें)

स्ट्रीट वैंडर्स के शिकायत निवारण या विवाद के समाधान के लिये शिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति को आवेदन

1.	आवेदक का नाम और पता	:	
2.	पंजीकरण संख्या/केस संख्या/आईडीसंख्या	:	
3.	वैंडिंग का स्थान - (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	:	
4.	वैंडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) स्टेशनरी; (ख) मोबाइल; (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	:	(क) <input type="text"/> (ख) <input type="text"/> (ग) <input type="text"/>
5.	वैंडिंग का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि (वैंडिंग के प्रमाण पत्र की प्रति लगाएं, यदि जारी किया गया है)	:	
6.	शिकायत निवारण या विवाद समाधान का आधार (पूरा विवरण दें आवश्यकतानुसार अधिक पृष्ठ लगाएं)	:	

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं आवेदक श्री ----- सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:- कृपया आवेदन के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

फार्म "ख"
(नियम 9 देखें)

षिकायत निवारण तथा विवाद समाधान समिति के निर्णय के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

1.	आवेदक का नाम और पता	:	
2.	पंजीकरण संख्या/केस संख्या/आईडीसंख्या	:	
3.	वैडिंग का स्थान – (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	:	
4.	वैडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) स्टेशनरी; (ख) मोबाइल; (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	:	(क) <input type="text"/> (ख) <input type="text"/> (ग) <input type="text"/>
5.	समिति का निर्णय (विवाद निवारण समिति के निर्णय के प्रति लगाकर बताएं) (क) निर्णय संख्या; तथा (ख) निर्णय की तिथि	:	
6.	अपील का आधार (पूरा विवरण दें आवश्यकतानुसार अधिक पृष्ठ लगाएं)	:	

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं आवेदक श्री ----- सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:- कृपया अपील के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

फार्म "ग"

(नियम 10 देखें)

टाउन वैडिंग समिति के निर्णय के विरुद्ध स्थानीय प्राधिकरण को अपील

1.	आवेदक का नाम और पता	:	
2.	पंजीकरण संख्या / केस संख्या / आईडीसंख्या	:	
3.	वैडिंग का स्थान – (अवस्थिति, जोन, वार्ड आदि का पूरा विवरण दें)	:	
4.	वैडिंग का स्वरूप (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) स्टेशनरी; (ख) मोबाइल; (ग) कोई अन्य श्रेणी (यदि अन्य कृपया श्रेणी विनिर्दिष्ट करें)	:	(क) <input type="text"/> (ख) <input type="text"/> (ग) <input type="text"/>
5.	वैडिंग का प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि (बिक्री के प्रमाण पत्र की प्रति लगाएं, यदि जारी है)	:	
6.	आदेश का स्वरूप, जिसके प्रति अपील है (उपयुक्त पर निशान लगाएं) (क) बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाना; (ख) बिक्री प्रमाण पत्र निरस्त किया जाना; (ग) बिक्री प्रमाण पत्र निलम्बित किया जाना।	:	(क) <input type="text"/> (ख) <input type="text"/> (ग) <input type="text"/>
7.	अपील का आधार (पूरा विवरण दें आवश्यकतानुसार अधिक पृष्ठ लगाएं)	:	

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं आवेदक श्री ----- सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि ऊपर जो कहा गया है वह मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:- कृपया अपील के साथ सभी संबंधित दस्तावेज लगाएं।

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 10th January, 2018

No. F.13(04)/2011/UD/MB/2014/148.—In exercise of powers conferred by section 36 read with sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (I) of section 2 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014), and in supersession of the earlier rules notified vide No. 13(61)/UD/MB/CC/2014/7121 dated 26/11/2014 and F.13(61)/UD/MB/CC/2014/6987 dated the 07th January, 2016 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules, namely: -

CHAPTER – I**PRELIMINARY****1. Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

Definitions.—

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) “Act” means the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014
- (b) “bye-laws” mean the bye-laws made by a Local Authority under section 37.
- (c) “Form” means a form appended to these rules;
- (d) “Committee” means a committee constituted by the Government of National Capital Territory of Delhi under sub-section (1) of section 20 of the Act for the Redressal of Grievances or resolution of dispute of Street Vendor.
- (e) “Rules” means a rule made under section 36.
- (f) “Schedule” means a Schedule appended to these rules.
- (g) “Section” means a section of the Act;
- (h) “Scheme” means a scheme framed by the appropriate Government under section 38;
- (i) “Local Authority” means the local authority as defined under clause (c) of sub section (1) of Section 2 of the Act.
- (j) "public purpose" includes in the context of the Act,-
- (i) widening of roads, streets, lanes
- (ii) shifting the alignment of roads, streets, lanes,
- (iii) erecting of flyovers with or without clover leaves and slip down roads,
- (iv) erecting underpasses,
- (v) development of land for the purpose for which it has been reserved or acquired for any public projects,
- (vi) implementation of town planning schemes,
- (vii) laying of water, storm water or sewer lines,
- (viii) erecting intermediate pumping stations for the services,

- (ix) public conveniences,
- (x) any project related with public transport like Bus Rapid Transit System (BRTS), Metro etc.,
- (xi) erection of Economically Weaker Section (EWS) Housing,
- (xii) creation of Parks, Gardens and Recreational Area,
- (xiii) conservation of any eco system resource in that area, and any other developmental work taken by the local authority, the beneficiary of which will be the community at large

(2) Words and expressions used herein these rules, but not defined and defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

Regulation of Street Vending

3. **Prescription of the age for issue of certificate of vending.**— A street vendor who has completed the age of fourteen years shall be issued a certificate of vending under section 4 of the Act.

Dispute Redressal Mechanism

4. **Constitution of Grievance Redressal and Dispute Resolution Committees.**—
- (1) There shall be a Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee for each local authority, constituted by the Government under sub-section (1) of section 20, comprising of a Chairperson, who has been a Civil Judge or a Judicial Magistrate and two other professionals as members having such experience as may be prescribed.
 - (2) The Chairperson and Members of a Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee shall be appointed by the Government.

5. Qualifications and experience for appointment as member in a Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee.—

A person shall be qualified to be appointed as a professional member in a Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee, if he —

- (i) is above 35 years but is not more than 65 years of age; and
- (ii) possesses a Bachelor's Degree from a recognized University; and
- (iii) is a person of ability, integrity and standing and has adequate knowledge or experience of, at least, ten years in social work or in dealing with the problems relating to street vendors or of public affairs or of municipal or public administration; or is a retired officer of the Central or State Government or the Government of a Union Territory or Local Authority from a Group 'A' post.

6. Salaries and other allowances and terms and conditions of the Chairperson and members of the Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee:-

(1) The Chairperson of the Committee shall receive the salary, allowances and other perquisites as are admissible to a sitting Civil Judge (Senior Division), if appointed on whole-time basis, or an honorarium of rupees two thousand per day on the day of sitting, if appointed on a part-time basis.

Provided that where a retired person who has been a Civil Judge or Judicial Magistrate is appointed as Chairperson on a whole-time basis he shall receive remuneration as per the last pay drawn minus pension along with allowances.

(2) A member of the Committee shall receive a consolidated amount of rupees twenty five thousand if appointed on a whole-time basis, or an honorarium of rupees one thousand five hundred per day on the day of sitting, if appointed on part time basis. In addition a member appointed on a whole time basis will also be entitled to receive transport allowance of rupees seven thousand per Month:

Provided that where a retired Government / Municipal Officer is appointed as a member on a whole-time basis, he will have the option to receive the last pay drawn minus pension alongwith allowances.

(3) The Government may remove from the office of the Chairperson and Members of the Committee if he:-

- (a) has been adjudged an insolvent, or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude, or
- (c) has become physically or mentally incapable of action as such Chairperson or Member, as the case may be or
- (d) has acquired such financial other interests as is likely to affect prejudicially his functions as the chairperson or a Member, as the case may be or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

Provided that the Chairperson or Member shall not be removed from his office on the grounds specified in clauses (d) and (e) above except on an inquiry held by the Government in accordance with such procedure as it may specify in this behalf.

- (4) The terms and conditions of the service of the Chairperson and Members of the Committee shall not be varied to their disadvantage during their tenure of office.
- (5) The tenure of the Chairperson and Members of the Committee shall be five years or till they attain the age of 65 years whichever is earlier

7. Form and manner of making application for redressal of grievance or resolution of dispute.—

- (1) Every application for redressal of a grievance or resolution of a dispute under sub-section (2) of section 20 of the Act shall be in **Form 'A'**.
- (2) The application shall be signed by the applicant and presented by him in person or through his authorized representative to the Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee or such other persons as may be authorized by the Committee in its behalf.
- (3) The application shall be filed in three sets and shall be accompanied by a fee of rupees of ten only by way of non- judicial stamp paper.
- (4) The application shall be accompanied by a copy of the order / decision, if any, against which the application is made and other relevant documents.
- (5) Such application shall be filed within a period of **180 days** from the date of occurrence of any incident causing the grievance or dispute.

8. Manner of verification of application and enquiry.—

- (1) Every application for Grievance Redressal, on receipt, shall be entered and numbered in striatum by the Superintendent or the person authorized in this behalf by the Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee in a Digital register to be kept for this purpose.
- (2) The Committee shall have access to this digital register with necessary authorisation to access the register.
- (3) The Committee shall fix a date for hearing of the application and shall issue notice of the hearing to the parties or shall cause a notice to be issued.
- (4) The Committee while issuing a notice under sub rule (3) shall call upon the respondent to submit a written statement and the notice shall contain a statement to this effect.
- (5) On the date so fixed for the appearance of the parties, the Committee may call upon the applicant to remedy the defects, if any, or may call upon the parties to furnish relevant records or such other documents or evidence as it may deem fit and proper within such period as may be specified by it.
- (6) The Committee may also order for a field enquiry in connection with the contentions made by the applicant(s) and respondent(s) and also with reference to the records submitted before it.
- (7) The Committee, after hearing the parties and examining the record of the case shall decide the application and pass such order as it may deem fit and proper within ninety days from the presentation of the application.
- (8) The Committee may also explore the possibility of a settlement between the parties and in case the parties arrive at a settlement, the Committee shall record the settlement, which shall be signed by the

parties or the authorised representatives/ officers and shall dispose of the application in terms of such settlement.

- (9) The Committee shall not entertain an application where:-
- (a) the application is anonymous or it contains general and vague allegations;
 - (b) the matter is sub-judice in any court of law, tribunal or a judicial or quasi-judicial authority;
 - (c) the matter is beyond the purview of the Act; and
 - (d) the applicant has no locus standi to file the application.

9. Appeal against the order or decision of the Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee.--

- (1) An appeal against an order or decision of the Committee, may be preferred by an aggrieved person, in **Form 'B'**, to the Appellate Authority constituted by the concerned Local Authority, within thirty days from the date of communication of such order or decision appealed against.
Provided that the Appellate Authority may condone the delay in case it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from preferring the application within the prescribed time.
- (2) The appeal shall be in the form of a memorandum and shall be signed by the appellant and presented by him in person or through his authorized representative to the concerned local authority. The memorandum of appeal shall be accompanied by original order or certified copy of the order against which appeal is preferred.
- (3) The appeal shall be filed in three sets and accompanied by a fee of rupees ten only by way of non-judicial stamp paper.
- (4) No such appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon the Respondent(s) and proof of such service has been filed. The memorandum of appeal shall be accompanied by the original or certified copy of the order, if any, against which appeal is preferred.
- (5) No appeal shall be entertained where the order has been passed by the Committee in terms of the settlement arrived between the parties.

10. Appeal from decision of Town Vending Committee-

- (1) An appeal under section 11 against any decision of a Town Vending Committee with respect to issue of certificate of vending or cancelation or suspension of certificate of vending shall be preferred before the Appellate Authority constituted by the concerned local authority in **Form 'C'** within thirty days from the date of communication of the order by the Town Vending Committee.
Provided that the Appellate Authority may condone the delay in case it is satisfied that appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the prescribed time.
- (2) The appeal shall be in the form of a memorandum in **Form 'C'** and shall be signed by the appellant and presented by him in person or through his authorized representative. The memorandum of appeal shall be accompanied by the original or certified copy of the order against which appeal is preferred.
- (3) The appeal shall be filed in three sets and accompanied by a fee of rupees ten only by way of non-judicial stamp paper.
- (4) No appeal shall be entertained unless a copy thereof has been served upon the Town Vending Committee which had made the order appealed against, prior to filing of such appeal and proof of such service has been filed along with the appeal.

11. Procedure for disposal of appeals by the Appellate Authority: –

- (1) The officer or the person authorised in this behalf by the concerned local authority shall make an entry of the appeal in the Register kept for the purpose by the concerned Local Authority with the date on which it was presented.
- (2) The appeal shall be put up before the Appellate Authority constituted by the concerned local authority which shall fix a date for hearing of the appeal and shall cause a notice of the hearing to be served upon the parties.

- (3) The Appellate Authority shall on the basis of submissions made before it by the parties and the records of the case and on the basis of field enquiry, if any, ordered to be conducted by the Appellate Authority, pass such order, as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the order appealed against within **thirty days** of the date of receipt of the appeal by the local authority.

12. Constitution of the Town Vending Committee –

- (1) New Delhi Municipal Council and Delhi Cantonment Board shall have one Town Vending Committee each. In each of Municipal Corporations, Town Vending Committee shall be constituted for a group of 8-12 wards each. In respect of Municipal Corporations, the Additional Commissioner/Deputy Commissioner of the local authority may be the chairperson of the Town Vending Committee.
- (2) The Municipal Commissioner or Chairperson or Chief Executive Officer as the case may be, of the local authority concerned shall be the Chairperson of Town Vending Committee and other members of the Town Vending Committee shall be as follows:-

S.N	Department/Body	No. of Representative(s)
1.	The Commissioner or Chairperson or Chief Executive Officer of the local authority concerned - Chairperson	1
2.	Medical Officer of Local Authority – Member	1
3.	Planning Authority (Chief Town Planner or any other officer of Town Planning Department of the Local Authority)- Member	1
4.	Representative of Local Authority (Enforcement Department Head/Officer to be nominated by the Commissioner/Chairperson/Chief Executive Officer)- Member	3
5.	Traffic police -not below the rank of ACP - Member	1
6.	Police -not below the rank of ACP- Member	1
7.	Market/Trader Associations - Members	2
8.	Non- Government organizations - Members	2
9.	Banks/Association of Street Vendors	1
10.	Street Vendors (Elected) - Members	12
11.	CPWD/PWD/Works Department of the local authority (Whosoever has maximum area under their jurisdiction) - Member	1
12.	Community based organizations - Member	1
13.	Resident Welfare Associations- Members	2
14.	Revenue Department, GNCTD - Member	1
	Total	30

- (3) The Members of the Town Vending Committee except the elected members shall be nominated on the basis of names suggested by the Government/ Authorities/ Agencies/Associations.

- (4) The Municipal Commissioner or Chief Executive Officer or Chairperson as the case may be, of the Local Authority shall ensure that due representation is given to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Minorities and Persons with disabilities from amongst the persons representing street vendors while conducting elections to the Town Vending Committee.

13. Election to the elected member of Town Vending Committee-

- (1) The first Town Vending Committee will be formed after conducting elections from amongst Street vendors who had applied in 2007 scheme in MCD/NDMC plus Street Vendors whose names find mentioned in the list prepared by Chopra Committee and Thareja Committee. The electors will also include any other vendor who has been issued a license or any other form of permission by the local authorities whether as a statutory vendor, mobile vendor or under any other category before commencement of the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014.

Provided that the initial Town Vending Committee will discharge its function as for the purpose of survey and the issue of certificate of vending and it shall ensure that once the survey is complete, the elections are conducted within six months.

Provided further the Commissioner/CEO/Chairperson of the local authorities may conduct subsequent elections after revision of its electoral rolls from time to time.

- (2) The Commissioner or Chairperson or Chief Executive Officer of the Local Authority shall by a notification express its intention to conduct elections for the members of a Town Vending Committee representing the street vendors of the area under the jurisdiction of the concerned Local Authority.
- (3) The Commissioner or Chairperson or Chief Executive Officer of the Local Authority shall appoint a Returning Officer for conducting the election of members of the Town Vending Committee (s) representing the street vendors of the area under the jurisdiction of the concerned Local Authority.

14. Manner of election of the members of Town Vending Committee from amongst the street vendors.—

- (1) The Returning Officer appointed under sub - rule (3) of the rule 13 shall, conduct the elections for the members of the Town Vending Committee from amongst the Street Vendors in the manner provided under Schedule appended to these rules.
- (2) A mobile vendor, stationary vendor or street vendor shall be disqualified to be elected member of the Town Vending Committee if, he is:-
- (i) a convict of an offence involving moral turpitude;
 - (ii) is physically and/or mentally incapable of discharging his duties as a member of a Town vending committee; and
 - (iii) conducted himself in such a manner that is prejudicial to the public interest.
- (3) The names of the elected members shall be intimated by each Local Authority to the Government which shall upon receipt of such names along with other members nominated by it notify the constitution of the Town Vending Committee in each Local Authority.

15. Term of Town Vending Committee. —

- (1) The term of a Town Vending Committee constituted under section 22 of the Act, unless sooner dissolved under rule 17 of these rules, shall be five years from the date of its constitution.
- (2) The process of constituting a Town Vending Committee shall be completed,
- (i) before the expiry of its term; or
 - (ii) before the expiry of a period of six months from the date of its dissolution.

16. Removal of a member of Town Vending Committee —

- (1) If in the opinion of the appropriate Government, any member of a Town Vending Committee persistently makes default in the performance of his duties imposed on him by/or under the Act and these rules or exceeds or abuses its powers, the appropriate Government may, by order, remove such member from the committee provided that such member shall be given a reasonable opportunity of being heard before his removal.

(2)	The leave of absence and the disqualification of the member of the town vending committee shall be decided in the following manner, namely:-
(a)	A member, in case of urgency, may remain absent in the meeting with the prior approval of the Chairperson of the committee.
(b)	When a member remains absent for three consecutive meetings without permission, the Chairperson shall issue a show cause notice to such member asking him to explain within two weeks, the reasons for his absence in the meetings. If such member submits satisfactory explanation or reasons for his absence, he may be continued as a member with the warning.
(c)	Where such member fails to give any satisfactory reason for his absence in the meetings or does not reply to the show cause notice within time, his membership from the committee shall be terminated and such termination order shall be communicated to the member by the town vending committee.
(d)	Any member convicted in any criminal shall lose his membership of the Committee.
17.	Dissolution of Town Vending Committee.- If, in the opinion of the appropriate Government, a Town Vending Committee persistently makes defaults in the performance of duties imposed on it by/or under the Act and these rules or exceeds or abuses its powers, the appropriate Government may, by order, dissolve such Town Vending Committee and constitute a fresh Town Vending Committee.
18.	Allowances of the members of Town Vending Committee.— The allowances payable to the members of a Town Vending Committee, who do not hold any office of profit, shall be at the rate to be fixed by the concerned Commissioner/Chairperson/CEO of the Local Authority from time to time
19.	Meetings of Town Vending Committee. — <p>(1) A Town Vending Committee shall ordinarily hold at least one meeting within a period of three months or at any such intervals as the Chairperson of the Town Vending Committee may decide for the transaction of its business:</p> <p>Provided that the first meeting of a Town Vending Committee after its constitution under section 22 shall be convened by the Chairperson within 45 days.</p> <p>(2) The meetings of a Town Vending Committee shall be held at any premises within the jurisdiction of the Local Authority or Headquarter as may be decided by the Chairperson.</p>
20.	Procedure for transaction of business of Town Vending Committee – <p>(1) The Town Vending Committee may follow the following procedure for transaction of its business:-</p> <p>(i) The quorum for the meeting of Town Vending Committees should be minimum one-third of the strength of Town Vending Committee.</p> <p>(ii) The meeting should be presided by the Chairperson and in his absence to be presided by the nominee of the Chairperson.</p> <p>(iii) Decisions will be taken by the majority of votes of the members present.</p> <p>(2) Subject to the provisions of the Act and these rules and notwithstanding anything contained in the bye-laws, ordinarily the resolutions passed in a meeting of a Town Vending Committee shall be simple majority with not less than one third of the members of the Town Vending Committee present for voting.</p>
21.	Functions to be discharged by Town Vending Committee.— <p>Without prejudice to any other provisions of the Act, a Town Vending Committee shall perform the following functions, namely:-</p> <p>(a) to conduct surveys within the area of its jurisdiction to identify street vendors in the area and ensure their accommodation in accordance with the norms, plan and the holding capacity within area of its jurisdiction;</p>

- (b) to issue certificate of vending to an eligible street vendor after obtaining an undertaking from him to comply with the terms and conditions subject to which the certificate of vending is issued as specified in the scheme,
- (c) to cancel or suspend certificate of vending of street vendors who commit breach of any of the conditions thereof or any other terms and conditions specified for regulating street vending under the Act or these rules or scheme made under the Act or where the Town Vending Committee is satisfied that such certificate of vending has been secured by the street vendor through misrepresentation or fraud;
- (d) to recommend to the local authority an area in its jurisdiction for declaration of the same to be a non-vending area;
- (e) to identify sites and spaces for vending and hawking;
- (f) to regulate timings for vending to ensure non-congestion of public spaces;
- (g) to ensure enforcement of corrective mechanism against defiance by street vendors;
- (h) to follow up cases of dispute pending before the dispute redressal committee and the local authority;
- (i) to furnish recommendations to the local authority in relation to the preparation of plan to promote the vocation of street vendors;
- (j) to hold its meetings and take appropriate decisions to ensure efficient discharge of its functions;
- (k) to associate technical and professional persons with itself on temporary basis for obtaining assistance or advice in carrying out any of the provisions of the Act;
- (l) to publish the street vendor's charter specifying therein the time within which the certificate of vending shall be issued to the street vendors and time within which such certificate of vending shall be renewed and other activities to be performed within the time limit specified therein;
- (m) to maintain up to date records of registered street vendors and street vendors to whom certificate of vending has been issued in accordance with the provisions of the Act;
- (n) to carry out social audit of its activities under the Act or these rules or the scheme made there under;
- (o) to furnish from time to time to the Government and the Local Authority such returns as may be prescribed under the Act and these rules;
- (p) to furnish comments to the Government for undertaking promotional measures of making available credit, insurance and other welfare schemes of social security for the street vendors;
- (q) to assist the Government to raise awareness among the public about the role of the street vendors in the economy; and
- (r) to perform such other functions, for effective implementation of the Act and these rules, as may be delegated to the Town Vending Committee by the Local Authority and by the Government.

22. Power of Town Vending Committee for temporary association of expert persons. —

- (1) Subject to the provisions of the Act, a Town Vending Committee may associate any suitable person of repute having adequate knowledge and experience in the field, as expert to obtain technical or professional advice on matters relating to the street vendors.
- (2) The person to be associated as expert under sub-rule (1) shall be selected in a fair and transparent manner and by following the procedure for engagement of consultants and experts as technical or professional experts in Government Departments.
- (3) The persons associated as expert under sub-rule (1) shall be paid allowances as determined by the Local Authority.

23. Employees of Town Vending Committee. —

The Local Authority concerned, with the prior approval of the Government shall, when so requested by a Town Vending Committee, make available to that Committee such employees as the Local Authority considers necessary for discharge of the functions conferred or imposed on the Town Vending Committee by Rule 21.

24. Manner of maintenance of records of Street Vendors by Town Vending Committees---

Every Town Vending Committee shall maintain up to date records as prescribed in the section 26 in both electronic and manual form.

25. Town Vending Committee to furnish returns,-

- (1) Every Town Vending Committee shall prepare and furnish to the Government and Local Authority the following periodical returns for each year in a digital format, namely:-

[I] Surveys ,-

- (a) the list of street vendors surveyed during the year;
- (b) name of area and wards where survey work has been completed alongwith date of completion of survey;
- (c) name of area and wards where survey work is in progress alongwith the date of start of survey and the date of likely completion; and
- (d) the list of registered street vendors ward wise as on the last day of the year.

[II] Receipt and disposal of applications for issue of certificate of vending,-

- (a) the list of applications (ward wise) received for issue of certificate of vending during the year;
- (b) the list of applications (ward wise) disposed of during the year of which—
 - (i) the list of applications accepted;
 - (ii) the list of applications denied; and
 - (iii) the list of applications pending as on the last day of the year.

[III] Cases of suspension of certificate of vending,-

- (a) the list of cases in which action for suspension of certificate of vending initiated during the year;
- (b) the list of cases of suspension disposed of during the year of which—
 - (i) the list of certificate of vending were suspended;
 - (ii) the list of cases closed and the certificate of vending continued;
 - (iii) the list of cases pending as on the last day of the year.

[IV] Applications for revocation of suspension of certificate of vending,-

- (a) the list of applications for the revocation of suspension of certificate of vending received during the year;
- (b) the list of applications received in clause (a) above and disposed of during the year of which,—
 - (i) the list of applications where suspension revoked and the certificate of vending revalidated;
 - (ii) the list of cases closed and suspension continued.
- (c) the list of applications for revocation of suspension pending as on the last date of the year.

[V] Cases of cancellation of certificate of vending,-

- (a) the list of cases in which action for cancellation of certificate of vending initiated during the year;
- (b) the list of cases of cancellation of certificate of vending disposed of during the year of which –
 - (i) the list of certificates of vending cancelled;
 - (ii) the list of cases closed and certificate continued.
- (c) the list of cases pending on the last day of the year.

[VI] The minutes of meetings of Town Vending Committee held during the year.

[VII] Ward wise list of vending zones identified alongwith the details such as ward, area/colony, road, map of the vending zone, and the holding capacity.

[VIII] Ward wise number of registered street vendors that have been accommodated in the notified vending zones.

[IX] Other activities,-

- (a) the social audit of its activities conducted during the year;
 - (b) promotional measures taken for making available credit, insurance and other welfare schemes of social security of the street vendors during the year;
 - (c) steps taken during the year to raise awareness among the public about the role of street vendors in the economy.
 - (d) accept and act on complaints and feedback from public regarding any aspect related to vending.
- (2) The Government or the Local Authority, as the case may be, may require a Town Vending Committee to furnish such other return or returns in such performa as demanded from time to time.

26. Publication of summary of notified scheme in newspapers, etc.—

- (1) A summary of the scheme notified by the Government, under sub-section (1) of section 38 of the Act, shall be published by the Municipal Commissioner/Chairperson/CEO of each Local Authority at least in two prominent daily newspapers as per provision of sub-section (2) of section 38 and also circulated by public notice in the area for being widely known in the area or locality of its jurisdiction which is likely to be affected thereby.
- (2) The notice shall be signed by the **Municipal Commissioner/Chairperson/Chief Executive Officer of the Local Authority** or by an officer authorised by him in this behalf.
- (3) The notice shall be in such language or languages as the Municipal Commissioner/Chairperson /Chief Executive Officer of the Local Authority may specify in this behalf.

Rule 27. Disqualification of members. The leave of absence and the disqualification of the member of the town vending committee shall be decided in the following manner, namely:

- (1) A member, in case of urgency, may remain absent in the meeting with the prior approval of the Chairperson of the committee.
- (2) (a) When a member remains absent for three consecutive meetings without permission, the Chairperson shall issue a show cause notice to such member asking him to explain within two weeks, the reasons for his absence in the meetings. If such member submits satisfactory explanation or reasons for his absence, he may be continued as a member with the warning.
- (b) Where such member fails to give any satisfactory reason for his absence in the meetings or does not reply to the show cause notice within time, his membership from the committee shall be terminated and such termination order shall be communicated to the member by the town vending committee.

- (3) Any member convicted in any criminal shall lose his membership of the committee.
- (4) Any member who has lost his membership of the committee may prefer an appeal to the State Government within one month from the date of receipt of the termination order. The State Government, after giving opportunity of hearing to both the parties shall decide the appeal and the decision of the Government thereon shall be final.

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
PRAMOD KUMAR GOEL, Dy. Secy. (UD)

SCHEDULE

[See rule 14]

Procedure for the conduct of elections of members of a Town Vending Committees representing the street vendors in the area of the jurisdiction thereof,-

1. The **Commissioner or Chairperson or Chief Executive Officer** of the Local Authority concerned shall supervise, direct and control the conduct of elections in a free and fair manner of the members of a Town Vending Committee representing the street vendors in the area of its jurisdiction.
2. As soon as the notification expressing the intention of the Local Authority to conduct elections for members of a Town Vending Committee representing the street vendors has been issued under sub-rule (2) of rule 13 and a Returning Officer has been appointed for conducting the elections under sub-rule (3) of that rule, the Local Authority shall by a resolution determine the date, time and place for conduct of elections.
3. The notice of the resolution/decision of the Local Authority shall be circulated among the street vendors engaged in the vocation of street vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, by any of the following modes, namely:-
 - a. by public notice to be published in two prominent daily newspapers in Hindi, English or such other language as the Local Authority thinks fit;
 - b. by local delivery;
 - c. by post under certificate of posting;
 - d. by speed post or courier services, duly registered with competent authority as well as on the notice board of the returning officer. The notice shall contain information regarding , -
 - i. the number of members to be elected including seats reserved for representatives of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward classes, women, persons with disabilities, minorities or any other specified categories;
 - ii. the date on which, the place at which and the hours between which nomination papers shall be filed, such date being not less than seven clear days before the date fixed for election or if that day happens to be public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;
Explanation.— the term “public holiday” means any day which is a public holiday under section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 [Central Act XXVI of 1881] or any day which has been notified by the Government to be a public holiday for offices under the Government;
 - iii. the date of withdrawal of nomination.
 - iv. the date and the hour for scrutiny of the nomination papers;

v. the date, place, hours of polling.

vi. the date of counting of the votes.

4. The Commissioner or Chairperson or Chief Executive Officer of Local Authority shall prepare a list of street vendors registered by the Town Vending Committee in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee as it stood on thirty days before the date fixed for inviting the nominations, and publish copies of the said list by affixing them upon the notice board at the office of the Town Vending Committee, not less than ten days prior to the date fixed for inviting nominations. The list shall specify the registration number/ certificate of vending and the name of the street vendor, the name of the father or husband, as the case may be, and the address of the street vendor. It shall be the duty of the Town Vending Committee or the Local Authority, as the case may be, to bring up-to-date register of street vendors and such other register as the Returning Officer may require and hand over such records, register or registers to the Returning Officer thirty days prior to the date fixed for the purpose of election. A copy of the list shall be supplied by the Town Vending Committee or the Local Authority, or returning officer, as the case may be, to any street vendor on payment of such fee as specified by the Local Authority.

5. The nominations of the candidates for election shall be made in Form-1 annexed to this schedule which shall be supplied by the Returning Officer to any street vendor, free of cost.

***Explanation:** The prescribed Form -1 as per Rule 14 shall not be applicable to the elections being conducted for the first town Vending Committee to be constituted under Rule -13(1). The Form for the first election will be prepared by the Commissioner/Chairperson/CEO of the concerned local authority.*

6. The candidate shall make a security deposit of rupees two thousand in cash or bank draft or pay order along with the nomination papers. If a candidate fails to get less than one-sixth of the votes polled, the security deposit shall be forfeited to the Local Authority.

7. Every nomination paper shall be presented in person by the candidate himself or by his proposer or secondary to the returning officer. The Returning Officer shall enter on the nomination paper its serial number and certify the date and hour at which the nomination is received by him and shall immediately give a written acknowledgement for the receipt of the nomination paper which shall bear the seal of the Town Vending Committee/ Returning Officer. Any nomination paper which is not received on or before the date and time fixed for its receipt shall be rejected.

8. (i) On the day following the last date fixed for the receipt of nomination papers, the Returning Officer shall take up the scrutiny of the nomination papers.

(ii) The Returning Officer shall examine the nomination papers and decide objections, which may be made by any person in respect of any nomination and may, either on such objection, or on his own motion and after such summary inquiry, if any, as the Returning Officer thinks necessary, reject any nomination:

Provided that the nomination of a candidate shall not be rejected merely on the ground of an incorrect description of his name or the name of his proposer or seconder, or any other particulars relating to the candidate or his proposer or seconder, as entered in the list of street vendors referred to in clause 4, if the identity of the candidate, the proposer or seconder, as the case may be, is established beyond reasonable doubt.

(iii) The Returning Officer shall give all reasonable facilities to the contesting candidates or the proposer or seconder as the case may be, to examine all the nomination papers and to satisfy themselves that the inclusion of the name of the contesting candidate is valid;

(iv) The Returning Officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same as the case may be, and if the nomination paper is rejected, he shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection;

(v) The Returning Officer shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riots or affray or by causes beyond his control.

9. The list of valid nominations as decided by the Returning Officer with names in English alphabetical order and addresses of the candidates as given in the nomination papers will be displayed/ published on the same day on which the scrutiny of the nomination papers is completed.
10. Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and submitted in person, at any time after the presentation of his nomination paper but before 05.00 pm on the day following the day on which the valid nominations are published by the Returning Officer of the Town Vending Committee. A notice of withdrawal of candidates once given shall be irrevocable.
11. If the number of candidates whose nomination papers have been declared valid, does not exceed the number of candidates to be elected, the Returning officer shall announce the names of all such candidates and declare them to have been duly elected to the Town Vending Committee after the closing hour of the day of withdrawal of candidatures fixed under clause 10 above. If the number of candidates whose nominations are valid exceeds the number to be elected, the Returning Officer shall arrange for conducting a poll on the date fixed for the purpose. **The names of the contesting candidates (arranged in English Alphabetical order) and the corresponding serial numbers assigned to them that shall be released by the Returning Officer.** The Returning Officer may appoint one or more Polling Officers/Presiding Officers as may be necessary for conducting the poll. **Ballot paper to be used shall be prescribed by the Commissioner or Chairperson or Chief Executive Officer of the Local Authority concerned**
12. The Commissioner or Chairperson or Chief Executive Officer of Local Authority shall provide the Returning Officer with ballot boxes, ballot papers copy of list of street vendors/voters and such other articles as may be necessary for the conduct of elections. The ballot box shall be so constructed that ballot papers can be inserted therein but cannot be taken out there from without the boxes being unlocked. A candidate contesting the election may, by a letter to the Returning Officer appoint an agent to represent him both where polling is held to identify the voters and to watch the recording of votes. Such letter shall contain the consent in writing of the agent concerned in **Form-2 annexed to this Schedule.**
13. **Canvassing for votes be prohibited 48 hours before the time scheduled for end of poll.**
14. Immediately before the commencement of the poll, the Returning Officer shall show the empty ballot box to such persons as may be present at the time and shall then lock it up and fix his seal. The candidate or his agent may also affix his own seal, if he so desires.
15. Every street vendor/voter who desires to exercise his right to vote shall be supplied with a ballot paper containing the names of contesting candidates arranged in the English Alphabetical order either printed, type written or cyclostyled, according to convenience, in Hindi and English along with the serial assigned to them. The ballot paper shall also bear the seal of the Town Vending Committee and also the initials of the returning officer, and further contain a column, for the voter to inscribe a mark [x] against the names of persons to whom he wants to vote.
16. Each polling station and where there is more than one polling booth at a station, each such booth shall contain a separate compartment in which the street vendors/voters can record their votes in secrecy.
17. No ballot paper shall be issued to a street vendor/voter unless the polling officer is satisfied that the street vendor/voter concerned is the same person as noted in the list furnished to him. On receipt of such ballot paper the street vendor/voter shall proceed to the polling compartment set apart for the purpose and indicate the person or persons in whose favour he exercises his vote by inscribing a mark [x] against the names of the candidate or candidates, as the case may be, and put the ballot paper in the ballot box kept for the purpose with utmost secrecy. If owing to blindness or other physical infirmity or illiteracy, the street vendor/voter is unable to inscribe the mark on the ballot paper, the polling officer and where no such polling officer is appointed, the Returning Officer shall ascertain from him the candidate or candidates in whose favour he desired to vote, inscribe the mark [x] on his behalf and put the ballot paper in the ballot box.
18. If at any stage of the polling, the proceedings are interrupted or obstructed by any riot or affray or if at such elections, it is not possible to take the poll for any sufficient cause, the Returning Officer

shall have the power to stop the polling, recording his reasons for such action in the minute book of the Town Vending Committee.

- 19.** No street vendor/voter shall be admitted after the hours fixed for the poll but a voter, who enters the premises where ballot papers are being issued before the close of the polling hour shall be issued the ballot paper and allowed to vote.
- 20.** The counting of votes shall take place immediately after close of the poll. If this is not possible, the ballot box shall be sealed with the seal of the Returning Officer and the contesting candidates or their agents, if they so desire, and deposit in a strong room and kept in safe custody of the Returning Officer, the Returning Officer shall then announce the next day of counting. The votes shall be counted by or under the supervision of the Returning officer. Each candidate and his authorised agent shall have a right to be present at the time of counting. But absence of any candidate or his agent at the time of counting shall not vitiate counting and announcement of results by Returning officer. The number of votes secured by each candidate and the result of the elections shall be announced by the Returning Officer as soon as the counting is over.

The Returning Officer shall give the certificate of election in the format to be prescribed by the Commissioner or Chairperson or Chief Executive Officer of the Local Authority concerned to the winning candidates immediately after counting is over and result is declared. He will also inform Commissioner or Chairperson or Chief Executive Officer of the Local Authority concerned of the result.

- 21.** The result of the elections shall also be recorded in the minute book of the Town Vending Committee and attested by Returning Officer and shall also be notified immediately on the notice board of the Town Vending Committee.
- 22.** In case of equality of votes, the Returning Officer shall declare the election result by tossing coin.
- 23.** The ballot paper shall be rejected by the Returning Officer if —
- (i) it bears any mark by which the voter can be identified
 - (ii) it does not bear the seal of the Town Vending Committee or the initials of the returning officer;
 - (iii) the mark indicating the vote thereon is placed in such a manner as to make it doubtful to which candidate the vote has been cast;
 - (iv) is so damaged or mutilated that its identity as a genuine ballot paper cannot be established.
- 24.** After the result of election has been announced, the result of the election and a report thereon shall be communicated to the Local Authority as well as to the Government by the Returning Officer within three days after the declaration of result.
- 25.** After the declaration of the result of the election, the Returning Officer shall handover the ballot paper and records relating to the elections of the members of the Town Vending Committee to the Local Authority in a sealed cover. These shall safely be preserved by the Local Authority for the period of six months from the date of elections or till such time a dispute regarding elections, if any, filed is disposed of, whichever is later and shall thereafter be destroyed by the Local Authority and a copy of the handing over and taking over record of elections shall be sent to the Government as well as Local Authority by the Returning Officer alongwith his report.

[See rule 14]

Form- 1

Nomination form for Election of Members of Town Vending Committee

To

The Commissioner/Chairperson/ CEO

.....

Town Vending Committee

.....

Sir,

I,,wife/ son/ daughter of Shri....., street vendor vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, (Registration/ Certificate of Vending No.....) hereby propose the name of Shri/Smt/Ms..... wife/son/daughter of Shri.....and a street vendor of the said Town Vending Committee (Registration/Certificate of Vending No.....) as a candidate for the post of Member of the said Committee for the election to be held on

Name and signature of the proposer.....

Registration/Certificate of Vending No.....

I,,wife/ son/ daughter of Shri

Registration/ Certificate of Vending No.....of..... Town

Vending Committee, hereby second the above proposal.

Name and Signature of the Seconder.

Registration/Certificate of Vending No.....

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I,,wife/ son/ daughter of Shri Registration/ Certificate of Vending No.....of..... Town vending committee, hereby agree to my nomination for the election as Member of the Town vending committee.

I further declare that-

- (i) I am not an employee of the said Town Vending Committee-,
- (ii) I am eligible to vote-,
- (iii) I do not incur any disqualification for election as Member of the said Town Vending Committee under the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (7 of 2014) and the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017 made there under.

Name and Signature of the Candidate.

Registration/Certificate of Vending No.....

Signature of the Returning Officer

Seal

ACKNOWLEDGEMENT

Received the nomination form of presented by Shri/Smt./Ms candidate / proposer/seconder for election at a.m./p.m. on

Signature of the Returning Officer

Seal

[See rule 14]

Form-2

[Clause 12 of Schedule]

I,, son/wife /daughter of Shri....., street vendor vending in the area of jurisdiction of the Town Vending Committee, (Registration/Certificate of Vending No.....) contesting for

election of Member of the said Committee, hereby nominate the following person as my election agent/counting agent in the election of Members of the said Town Vending Committee to be held on (specify the date):-

Name and Signature of the Candidate

Registration/Certificate of Vending No.....

I,, son/wife/daughter of Shri.....,
address

.....
am willing to be the election agent/account agent.

Name and Signature of the Agent

FORM 'A'

[See rule 7]

Application to the Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee for the Redressal of Grievance or Resolution of Dispute of Street Vendors

01	Name and address of the applicant	
02	Registration number/ case number/ ID number	
03	Place of vending — (give full details of location, zone, ward, etc.)	
04	Nature of vending (Tick the appropriate) — (a) stationary (b) mobile (c) any other category (if other, please specify the category)	(a) <input type="checkbox"/> (b) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/>
05	Date of issue of certificate of vending (attach a copy of certificate of vending, if issued)	
06	Grounds of redressal of grievance or resolution of dispute (give full details and attach more pages, if required)	

Signature of applicant

DECLARATION

I, _____, the applicant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place:

Date:

Signature of applicant

Note.— Please attach all the relevant documents along with the application.

FORM 'B'

[See rule 9]

Appeal to the Local Authority against the decision of the Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee

1	Name and address of the applicant	
2	Registration number/ case number/ ID number	
3	Place of vending — (Give full details of location, zone, ward, etc.)	
4	Nature of vending (Tick the appropriate) — (a) stationary (b) mobile (c) any other category (if other, please specify the category)	(a) <input type="checkbox"/> (b) <input type="checkbox"/> (c) <input type="checkbox"/>
5	Decision of the Committee (attach the copy of the decision of the Dispute Redressal Committee, giving- (a) the number of the decision; and (b) the date of the decision.)	
6	Grounds of appeal (give full details and attach more pages, if required)	

Signature of applicant

DECLARATION

I, _____, the applicant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place:

Date:

Signature of applicant

Note.— Please attach all the relevant documents along with the appeal.

FORM 'C'**[See rule 10]****Appeal to the Local Authority against the decision of the Town Vending Committee**

01	Name and address of the applicant	
02	Registration number/case number/ID number	
03	Place of vending — (give full details of location, zone, ward, etc.)	
04	Nature of vending (Tick the appropriate) — (a) stationary (b) mobile (c) any other category (if other, please specify the category)	(a) <input type="checkbox"/> (b) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/>
05.	Date of issue of certificate of vending (attach a copy of certificate of vending, if issued)	
06.	Nature of order appealed against (Tick the appropriate) — a) Issuance of certificate of vending; b) Cancellation of certificate of vending; or c) Suspension of certificate of vending;	(a) <input type="checkbox"/> (b) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/>
07.	Grounds of appeal (give full details and attach more pages, if required)	

Signature of applicant

DECLARATION

I, _____, the applicant, do hereby solemnly declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place:

Date:

Signature of applicant

Note: - Please attach all the relevant documents along with appeal.